सम्बन्धित 15678 स्टाम्प:138 6

कार्यालय, राजस्व अभि० कले० अलीगढ़

आदेश पत्रक

न्यायालय : नायब तहसीलदार,चण्डौस
मण्डल :अलीगढ़,जनपद :अलीगढ़,तहसील :गभाना
वाद संख्या :-02572/2019
कंप्यूटरीकृत वाद संख्या :-T201918020402572
गायत्री लोक कल्याण संस्थान चण्डौस द्वारा सचिव गणेश दत्त शर्मा बनाम श्रीमती महेन्द्री देवी
अतर्गत धारा:- 34, अधिनियम :- उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता - 2006

20402572

मौजा चण्डौस परगना चण्डौस

नकल निर्णय दि० 20-11-19

प्रस्तुत नामान्तरण का यह वाद उपनिबंधक कार्यालय से प्राप्त सत्यापित प्रति के आधार पर योजित किया गया। नियमानुसार इश्तहार जारी किया गया जो वाद तामिल शामिल मिसिल हुआ। कोई आपत्ति प्रस्तुत नही हुई। शपथ पत्र व लेखपाल की आख्यानुसार क्रेता–विक्रेता अनुसूचित जाति के सदस्य नही है। विक्रय भूमि ग्राम समाज सीलिंग आंवटन की नहीं हैं। विक्रय भूमि संक्रमणीय भूमि है। क्रेता के पास क्रय की भूमि को मिला कर 12.5 एकड़ भूमि से अधिक भूमि नहीं है। उ0प्र0रा0सं0 2006 की धारा 98, 99 का उल्लंघन नहीं हो रहा है। वाद निर्विवाद है। नामान्तरण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

आदेश

अतः आदेश हुआ कि मौजा चण्डौस के खाता सं0 440 के गाटा सं0 1115/2.609है0ल060ख के विधिक अंश में से 1.154है0ल060ख से विक्रेता श्रीमती महेन्द्री देवी पत्नी जय सिंह नि0 न्यू मीनाक्षीपुरम गली नं0–1 कसेरू खेड़ा जि0 मेरठ का नाम खारिज करके क्रेता गायत्री लोक कल्याण संस्थान–चण्डौस द्वारा सचिव गणेश दत्त शर्मा पुत्र चन्द्रशेखर शर्मा नि0 चण्डौस का नाम बतौर बैनामा दिनांक 14.10.2019 के अनुसार दर्ज हो। वाद अमलदरामद पत्रावली दाखिल दफ्तर होवे।

दिनांक 20-11-19

तहसीलदार
गभाना।

(स्टाम्प पर: खण्डित)

C1 / 224 / 10 / 20/11/19

प्रार्थना पत्र देने का दिनांक 12-7-22
नकल तैयार होने का दिनांक 13-7-22
नकल देने का दिनांक 13-7-22

नकल नवीस के हस्ताक्षर
मिलान करने के हस्ताक्षर
नकल शुल्क की संख्या

पृष्ठ संख्या :

Document LR34 ... 34 File 2019 LR 34 Daruall & Chanaua

सत्य प्रतिलिपि 13-7-22
राजस्व अभिलेखागार
कलेक्ट्रेट, अलीगढ़

(मुहर: राजस्व विभाग, अलीगढ़)